जाति प्रमाण पत्र संबंधी
विशेष अभियान

P/01
30/5/16

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक 7–42/2012/आ0प्र0/एक, भोपाल, दिनांक 06/04/2016

प्रति

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

1774
30/05/16

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में–विशेष अभियान

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7–42/2012/आप्र/एक, दिनांक 13.01.2014, निर्देश दिनांक 09.06.2014 एवं 30.06.2014

––0––

उपर्युक्त विषयक संदर्भित परिपत्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के डिजीटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र जारी करने की नीति एवं प्रक्रिया जारी की गई है । जाति प्रमाण पत्र संबंधी विशेष अभियान के क्रम मे जारी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 30 जून 2014 की कंडिका 5 के बाद निम्नानुसार नई कंडिका '5–अ' जोड़ी जाती है :–

कंडिका '5–अ' यदि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत यह विदित होता है कि उसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र मे कोई लिपिकीय त्रुटि की गयी है तो वह उक्त लिपिकीय त्रुटि के संबंध मे वस्तुस्थिति से जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए स्वयं के आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति देने का अनुरोध करेगा एवं कलेक्टर से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपने पूर्व आदेश को संशोधित कर नवीन आदेश पारित कर सकेगा । इस हेतु आवेदक को नवीन आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नही होगी । पुनर्विलोकन आदेश मूल प्रकरण मे ही पारित किया जायेगा तथा पूर्व जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए संशोधित जाति प्रमाण पत्र को ई डिस्ट्रिक्स वेब साईट पर अपलोड करेगा । सॉफ्टवेयर मे इस आशय के परिवर्तन का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

उक्त पुनर्विलोकन की प्रत्येक अनुमति का जिला कलेक्टर एक रजिस्टर में रिकार्ड रखेंगे । यह सुनिश्चित किया जावे कि इस प्रावधान का दुरूपयोग न हो ।

Joshiji for uploading pl.
30/05/16

(के. के. कातिया)
अपर सचिव
म.प्र. शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

letter-2-2016.doc

पृ.क्र. एफ 7–42/2012/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 06/04/2016

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल;
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल;
3. अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय;
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल;
5. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल;
6. सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय , भोपाल;
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल;
8. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर;
9. श्री अविनाश लवानिया, एक्जी.डायरेक्टर, आई.टी. सेंटर, अरेरा हिल्स, भोपाल;
10. श्री अम्बरीश श्रीवास्तव, संचालक (प्रशासन), राज्य लोक सेवा अभिकरण, स्टेट आई.टी. सेंटर, भोपाल;
11. श्री विनायक राव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.विंध्याचल भवन, भोपाल;
12. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश;
13. समस्त संचालक जिला लोक सेवा केंद्र, मध्यप्रदेश;
14. समस्त जिला प्रबंधक, लोक सेवा केंद्र, मध्यप्रदेश;
15. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) मंत्रालय, भोपाल की ओर सा.प्र.वि. की वेबसाईट मे अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग